जमशेदपुर ठेकेदारों का श्रमिक संघ

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

22 अगस्त, 1990

[रंगनाथ मिश्रा, एम.एम.पूंछी और के.रामास्वामी, न्यायाधीशगण]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947: धारा 10 – संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970: धारा 10 – टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्थायी और नियमित प्रकृति के काम में लगाए गए संविदा श्रमिक –क्या वह मुख्य नियोक्ता के अधीन स्थायी रोजगार के हक़दार हैं।

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर के प्रबंधन द्वारा 11 फरवरी, 1981 से पहले स्थायी और नियमित प्रकृति के काम में लगे अनुबंध श्रमिकों ने (1) संयंत्र के भीतर सामग्रियों के परिवहन जो बाहरी आपूर्ति पर निर्भर नहीं था, (2) विनिर्माण प्रक्रिया से जुड़ी प्रक्रियाएं, (3) अपशिष्ट उत्पादों को हटाने और संभालने, और (4) मशीनों की सफाई और सफाई आदि में प्रमुख नियोक्ता के तहत स्थायी रोजगार की मांग की। विवाद राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण को संदर्भित किया गया था।

न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि कर्मचारी अनुबंध श्रम का गठन करते हैं और इसलिए, संदर्भ सम्पोश्नीय नहीं था। इसने आगे निर्धारित किया कि कार्रवाई, यदि कोई हो, तो संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के तहत की जानी चाहिए। ऐसे कदम उठाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है, न कि न्यायाधिकरण में। अधिनिर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने सीमा में खारिज कर दिया था।

विशेष अनुमति द्वारा की गई अपील में प्रबंधन की ओर से न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था कि संविदा श्रम अब केवल मद 3 तक सीमित था।

अपील का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने आदेश दियाः

1. न्यायाधिकरण के संदर्भ में अब लिखा होगाः "क्या 11.2.1981 से पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर के प्रबंधन द्वारा स्थायी और नियमित प्रकृति के काम में लगाये गए अनुबंध कर्मचारी मदों 1, 2 और 4 के सम्बन्ध में मुख्य नियोक्ता के स्थायी रोजगार के हकदार हैं।

2. राज्य सरकार को अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत मद संख्या 3 के सम्बन्ध में तीन महीने के भीतर अपना निर्णय लेना होगा कि क्या अनुबंध श्रम रोजगार को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं।

3. न्यायाधिकरण छह महीने के भीतर विवाद का निस्तारण करेगा।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 4380/1990

(सी.डब्लु.जे.सी. संख्या 4065/1985 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 4 अक्टूबर, 1985 से।)

आर.के. गर्ग और ए.शरण, अपीलार्थी की ओर से।

के.के. वेणुगोपाल, पी.चिदंबरम, एस.सुकुमारन, के.के. लाहिड़ी, डी.पार्थ सारथी और एस.एन. झा (एन.पी.) प्रत्यर्थियों की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

विशेष अनुमति दिया गया।

हमने अपीलार्थी की ओर से श्री गर्ग, प्रधान नियोक्ता की ओर से श्री चिदंबरम और प्रत्यर्थी–संघ की ओर से श्री वेणुगोपाल को सुना।

बिहार राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण, रांची को 9.7.81 को एक संदर्भ दिया गया था, जिसमें निर्णय के लिए निम्नलिखित विवादों का उल्लेख किया गया थाः

(1) क्या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर के प्रबंधन द्वारा 11.2.1981 से पहले निम्नलिखित स्थायी और नियमित प्रकृति के काम में लगाए गए अनुबंध श्रमिक स्थायी रोजगार के हकदार हैं?

(2) संयंत्र के भीतर सामग्री का परिवहन जो बाहरी आपूर्ति पर निर्भर नहीं है;

(3) विनिर्माण प्रक्रिया से जुड़ी सभी प्रक्रियाएँ;

(4) अपशिष्ट उत्पाद को हटाना और संभालना; तथा

(5) मशीनों, कन्वेयरों, दुकानों और कार्यालयों को साफ सफाई करना।

न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 18.12.1984 के अधिनिर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि श्रमिकों ने अनुबंध श्रम का गठन किया और इसलिए, संदर्भ सम्पोश्नीय नहीं था। यह आगे अभिनिर्धारित किया कि कार्रवाई, यदि कोई हो, तो केवल अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के तहत की जनि चाहिए और उस वैधानिक प्रावधान के तहत कदम उठाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है न कि न्यायाधिकरण में।

यह इंगित किया जा सकता है कि न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाने से पहले, मामला पटना उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाया गया था और दिनांक 4.9.1981 के निर्णय द्वारा रिट याचिका का निस्तारण किया यह अभिनिर्धारित करते हुए कि औद्योगिक न्यायाधिकरण को पहले ही संदर्भित किया गया था और अधिनिर्णय का इंतजार था और यह राज्य सरकार के लिए खुला था कि अनुबंध श्रम (विनियमन और

उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 10 (1) के तहत कदम उठाये। उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम निष्कर्ष में इंगित किया:

> "जब अंततः औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा राज्य सरकार के लिए निर्णय दिया गया, जैसा के विद्वान महाधिवक्ता ने हमें आश्वासन दिया है, तो वह मामले को कानून के अनुसार तय करेगी। यदि इस तरह के अधिनिर्णय के बाद और राज्य सरकार द्वारा उचित समय के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है उस समय, याचिकाकर्ता इस न्यायालय में फिर से जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

बाद की घटनाओं ने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की भ्रांति को उजागर कर दिया है। वास्तव में यदि अनुबंध श्रम (विनुयामन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधान को उचित रूप से ध्यान में रखा गया होता; इस तथ्य पर भरोसा किया जा सकता था कि अधिनिर्णय की प्रतीक्षा की जा रही थी।

जब अधिनिर्णय दिया गया तो उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती उठाई गई लेकिन न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। विशेष अनुमति द्वारा अपील रिट याचिका को सीमित रूप से खारिज करने के खिलाफ है।

हमने कुछ सीमा तक पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और श्री चिदम्बरम द्वारा हमारे ध्यान में लाया है कि इस संबंध में विवाद के शीर्ष के मद 1, 2 और 4 के लिए, जैसा कि संदर्भ में इंगित किया गया है, अनुबंध श्रम प्रणाली अब प्रचलन में नहीं है और अनुबंध श्रम अब केवल मद 3 तक ही सीमित है। बदली हुई स्थिति और विवाद की पृष्ठभूमि के साथ–साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा लगभग एक दशक से लंबित है, हमें नहीं लगता कि स्थिति पर तकनीकी दृष्टिकोण रखना और न्यायाधिकरण के फैसले का समर्थन करना उचित होगा। इसलिए, हम न्यायाधिकरण को दिए गए निर्देश की शर्तों को यह संकेत देते हुए प्रतिस्थापित करने के लिए इच्छुक हैं कि निर्देश अब इस प्रकार पढ़ा जाएगाः

"क्या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर के प्रबंधन द्वारा 11.2.1981 से पहले स्थायी और नियमित प्रकृति के काम में लगाए गए अनुबंध कर्मचारी मूल नियोक्ता के तहत आइटम 1, 2 और 4 के संबंध में स्थायी रोजगार के हकदार हैं।"

मद संख्या 3 के संबंध में राज्य सरकार को अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत अपना निर्णय लेना होगा कि क्या अनुबंध श्रम रोजगार समाप्त किया जाना चाहिए, और चूंकि हम पहले से ही कुछ समय से इस मामले पर विचार कर रहे हैं, हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह अपने विद्वान महाधिवक्ता द्वारा कई साल पहले पटना उच्च न्यायालय को दिए गए आश्वासनों के अनुसार अब से तीन महीने के भीतर अपना निर्णय ले।

न्यायाधिकरण के समक्ष मामले को अधिक प्रभावी तरीके से विनियमित करने के लिए और श्री वेणुगोपाल द्वारा की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि न्यायाधिकरण शुरू में उन श्रमिकों की पहचान करने पर ध्यान देगा जो मुख्य नियोक्ता के तहत और उसके बाद स्थायी रूप से अवशोषित होने के इच्छुक हैं। ऐसी पहचान हो जाने पर मामले को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सभी पक्षों को अपनी दलीलें उठाने और अपनी इच्छानुसार सबूतों के साथ इसे साबित करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि विवाद का निपटारा आज से छह महीने के भीतर हो जाए। यदि आवश्यक हो तो इस प्रकरण पर पूरा ध्यान दिया जाय ताकि हमारे द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर निस्तारण सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन हो सके। लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

पी.एस.एस.

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> – इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।